संख्या–422 / XVI / 07 / 7(42) / 07

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर–देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 30 अप्रैल,2007

विषयः–वित्तीय वर्ष 2007–08 के लेखानुदान द्वारा अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव,वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–255 / **XXVII(1)** / 2007 / दिनांक 26,मार्च 2007 के कम में आपके पत्रांक–159 / रेशम / त०अनु० / बजट / 2007–08,दिनांक–11,अप्रैल,2007 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि चालू वित्तीय वर्ष–2007–08 के लेखानुदान द्वारा अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष से सम्बन्धित व्ययों के वहन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–6928.00 हजार (रूपये उनहत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि **संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निवर्तन / आवंटन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिए ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–255 / **XXVII(1)** / 2007 / दिनांक 26,मार्च 2007 में दिये गये दिशा–निर्देशों,शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय,जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन / पुर्नरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण / व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकत्तानुसार ही किया जायेगा।

2/–

9– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लेखानुदानान्तर्गत अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसले–07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

11–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–37(P) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 / 2007, दिनांक–28 / 05 / 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:–यथोपरि,

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

संख्या–422 / XVI / 07 / 7(42) / 07 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,माजरा,देहरादून।
2–वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
5–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सचिवालय परिसर,देहरादून।
6–आयुक्त,गढ़वाल मण्डल,पौड़ी / कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
7–समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।

संख्या 422/ XVII/ 07/ 7 (42)/ 07, दिनांक–30 मई, 2007 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2007–08 में लेखानुदानान्तर्गत अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरण:–

अनुदान संख्या: 29 (धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक / योजना / मद का नाम 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास	लेखानुदान के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि
1	0703–सहकारी समितियों की रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	330	330
2	0706–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजनायें (90: के0पो0)		
	20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	810	810
3	0707– चाकी भवनों का निर्माण व रिनोवेशन		
	08–विद्युत देय	50	50
	25–लघु निर्माण कार्य	950	950
	29–अनुरक्षण	2000	2000
	योग 0707	3000	3000
4	0708–जैविक रेशम विकास		
	02–मजदूरी	83	83
	20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	60	60
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	50	50
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	133	133
	योग 0708	326	326
5	0709–वृक्षारोपण विकास योजना		
	02–मजदूरी	67	67
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	105	105
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	150	150
	योग 0709	322	322
6	0710–रेशम वस्त्र विकास		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	240	240
7	0711–रेशम प्रशिक्षण योजना		
	08–कार्यालय व्यय	7	7
	09–विद्युत देय	7	7
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13	13
	21–छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	17	17
	26– मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	17	17
	31– समाग्री और सम्पूर्ति	17	17
	42–अन्य व्यय	50	50
	44–प्रशिक्षण व्यय	40	40
	योग 0711	168	168
8	0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फैडरेशन का सुदृढ़ीकरण		
	20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	231	231
9	0791–रेशम उत्पादन प्रचार प्रसार (जि0यो0)		
	02–मजदूरी	767	767
	08–कार्यालय व्यय	67	67
	16–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100	100
	19–विज्ञापन बिक्री व विख्यापन	50	50
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	100	100
	29–अनुरक्षण	167	167
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	250	250
	योग 0791	1501	1501
	सम्पूर्ण योग:–	6928	6928

(रूपये उनहत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव।